



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA


जीएसटी आयुक्त का कार्यालय, गुवाहाटी

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF GST

सेठी ट्रस्ट बिल्डिंग, पाचवीं मंजिल, जी.एस. रोड, भांगागढ़, गुवाहाटी-

781005

SETHI TRUST BUILDING, 5TH FLOOR, G.S. ROAD, BHANGAGARH, GUWAHATI - 781 005



हिन्दी रूपांतरण

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 08.07.2017

दिनांक 01.07.2017 से केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है सीबीईसी द्वारा सबसे पहले "जीएसटी रेट फाईण्डर" के नाम से एक ऐप लांच किया था, जो विनार्माताओं, व्यापारियों एवं एवं ग्राहक को वस्तु एवं सेवाओं पर जीएसटी की सही दर पता करने में काफी उपोयगी रही थी।

भारत सरकार द्वारा ग्राहक जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम के ऊपर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है ताकि जनसाधारण को जीएसटी एवं अन्य अपेक्षित जानकारियों का फायदा प्राप्त हो सके। तदनुसार केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय द्वारा असम एवं उत्तर पूर्व के असमीया जनमानस हेतु जीएसटी रेट फाईण्डर का असमीया संस्करण प्रारंभ किया गया है।

इसके अलावा आयुक्तालय ने आम आदमी के सहूलियत हेतु एक अन्य मोबाईल ऐप "जीएसटी सेल्फ हेप" की भी शुरुवात की है। इसके द्वारा कभी भी किसी भी समय खरीदीदारी करते समय उसपर भुगतये शुल्क का पता लगाया जा सकता है।

श्री महेन्द्र सिंह, सदस्य (जीएसटी, सीबीईसी, भारत सरकार) ने आज दिनांक 08.11.2017 उत्तर पूर्व में जीएसटी कार्यान्वयन समीक्षा बैठक में जीएसटी से संबंधित दो ऐप लांच किए गए हैं। श्री वी.एल. हॉजसिंग मुख्य आयुक्त केन्द्रीय जीएसटी, उत्तर पूर्व अंचल एवं उत्तर पूर्व में पदस्थापित सभी जीएसटी आयुक्त इस उपलक्ष्य में उपस्थित थे। यह दोनों मोबाईल ऐप को अनरॉईड प्लेटफार्म से गूगलप्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। श्री महेन्द्र सिंह, ने उपभोक्ताओं से इन दोनों ऐप को भरपूर फायदा उठाने का कहा, ताकि उनके मन में सामानों की खरीद पर अदा की जाने वाली कर के संबंध में सी भी प्रकार की उलझन न हो।

श्रीवास धर

श्रीवास धर

सहायक आयुक्त
(इं - सिद्दु)